

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-02/रेगु०-02-7013/2024-521 स्वी०/CC
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 24. फरवरी, 2025

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० व्यय की स्वीकृति एवं इस हेतु आवंटित राशि मो० 20,89,79,600.00 (बीस करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छः सौ) रु० का अग्रिम निकासी के स्वीकृति के संबंध में।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-42, दिनांक-13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-450 स्वी०/CC दिनांक-28.01.2025 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-450 स्वी०/CC दिनांक-28.01.2025 के आलोक में आवंटन आदेश संख्या-25 बजट दिनांक-29.01.2025 द्वारा राशि मो० 20,89,79,600.00 (बीस करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छः सौ) रुपये (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न) का आवंटन आदेश निर्गत किया गया है।

3. गन्ना कृषकों को ईख मूल्य का भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों लगातार विभाग को पत्राचार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया है। इस प्रकार से CFMS 2.0 के माध्यम से लगभग 3 लाख किसानों को भुगतान करने में काफी कठिनाई होगी तथा इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है।

4. गन्ना कृषकों को शीघ्र ईख मूल्य भुगतान करने के निमित्त विभागीय आवंटन आदेश संख्या-25 बजट दिनांक-29.01.2025 द्वारा आवंटित राशि को वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल आवंटित राशि 20,89,79,600.00 (बीस करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छः सौ) रुपये मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45-2852082010103 से विकलनीय होगा।

कृ०पू०उ०

उक्त अग्रिम राशि की निकासी हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार का विवरण निम्नवत् है—

क्र०	ईख पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	चीनी मिल का नाम	आवंटन राशि (रूपये में)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5
1.	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया, प० चम्पारण	तिरुपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण	44817400.00	बेतिया, प० चम्पारण
2.		हरिनगर सुगर मिल लि०, हरिनगर, प० चम्पारण।	47782200.00	बेतिया, प० चम्पारण
3.		न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, प० चम्पारण।	23078900.00	बेतिया, प० चम्पारण
4.	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया, प० चम्पारण	मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया, प० चम्पारण।	21899000.00	बेतिया, प० चम्पारण
5.		एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, प० चम्पारण।	11173000.00	बेतिया, प० चम्पारण
6.	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	विष्णु सुगर्स मिल्स लि०, गोपालगंज	8995000.00	गोपालगंज
7.		मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई—भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज	17919400.00	गोपालगंज
8.	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी	106000.00	मुजफ्फरपुर
9.	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई—हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर	20059500.00	समस्तीपुर
10.	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण	12664300.00	मोतिहारी
11.	ईख पदाधिकारी, सीवान	बजाज हिन्दुस्तान लि०, प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश	159000.00	सीवान
12.	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	सेवरही चीनी मिल, उ० प्रदेश	325900.00	गोपालगंज
			20,89,79,600.00 (बीस करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार छः सौ) रु०	

6. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी जिस बैंक खाता में चीनी मिल के द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया गया है। चीनी मिल के द्वारा किसानों की सूची, उनसे क्रय किये गये गन्ना की मात्रा, किसानों का बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि जिसमें चीनी मिल के द्वारा किसान को ईख मूल्य भुगतान किया गया है, संबंधित सूचना ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रपत्र एवं समयसीमा निर्धारित है। किसानों के संबंध में दी गयी सूचना एवं उनको भुगतान किये जा रही राशि का विवरण चीनी मिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित चीनी मिल के दखलकार जिम्मेवार होंगे।

7. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरुद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उक्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका सं०-02/रेगु०-02-7013/2024 के पृष्ठ संख्या-31/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. उक्त प्रस्ताव पर संचिका सं०-02/रेगु०-02-7013/2024 के पृष्ठ संख्या-30/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि० (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-521 सी०/८८

पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-

पटना, दिनांक-

फरवरी, 2025

प्रतिलिपि-समाहर्ता, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-521 सी०/८८

पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/ महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-521 सी०/८८

पटना, दिनांक- 24 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।